न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–30/2020–21

(उत्पाद थाना कांड सं0–93–C3/2020)

राज्य बनाम संतोष कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

आदेश

17/9/21

प्रस्तुत वाद अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 411/म0नि0 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा उत्पाद थाना कांड संख्या–93–C3/2020, दिनांक 28.09.2020, धारा–30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक बोलेरो पिकअप वाहन निबंधन संख्या–**BR11GA-3441** को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया।

अवर निरीक्षक, मद्य निषेध सदर, क्षेत्र खगड़िया अंचल के प्रतिवेदन दिनांक–30.09.2020 के अनुसार दिनांक–28.09.2020 को गुप्त सूचना के आधार पर वादी समीर कुमार निरीक्षक मद्य निषेध प्रहार बल के पर्यवेक्षण में अपने अधीनस्थ उत्पाद में प्रतिनियुक्त सैफ बल के साथ मुफ्फसिल थानान्तर्गत परमानन्दपुर एन0एच0–31 मुख्य पक्की सड़क पर भागलपुर की ओर से बेगूसराय की ओर जा रही गाड़ी को रोका गया। वाहन चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, साथ के सैफ के जवान के सहयोग से चालक को पकड़ लिया गया। घटनास्थल पर उपस्थित स्वतंत्र साक्षी के समक्ष अभियुक्त एवं गाड़ी का विधिवत छापामारी कर तलाशी के दौरान बोलेरो पिकअप वाहन सं0–**BR11GA-3441** पर नमक के बोरी में छिपाकर अवैध विदेशी शराब कुल 846.00 लीटर बरामद किया गया। चालक के मोबाईल सहित सभी प्रदर्श को जप्त किया गया तथा घटनास्थल से चालक को गिरफ्तार किया। जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामान एवं गाड़ी सहित अभियुक्त को लेकर थाना आये। लिखित आवेदन के आधार पर चालक एवं वाहन मालिक के विरूद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज किया गया।

अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन एवं व्यक्तियों के विरूद्ध उत्पाद थाना कांड संख्या–93–C3/2020 दिनांक 28.09..2020 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई।

अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया।

विपक्षी को डाक एवं दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक–08.04.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरूद्ध गठित आरोप सत्य है।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है।

Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.**- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :–

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

(ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश परँ की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि बोलेरो पीकअप वाहन निबंधन संख्या– **BR11GA-3441** पर नमक के बोरी में छिपाकर कुल–846.00 लीटर विदेशी शराब के साथ बरामद किया। जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत जप्त किया गया। उक्त वाहन एवं मालिक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा बोलेरो पीकअप वाहन के नमक के बोरा में कुल–846.00 लीटर विदेशी शराब जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। वाहन जप्ती के स्थल की परिस्थितियां पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि जप्त वाहन का प्रयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये किया जाता था। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

1.इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो पीकअप वाहन निबंधन संख्या– **BR11GA-3441** जप्त कर थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा–58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2.**जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया** को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में बोलेरो पीकअप वाहन निबंधन संख्या– **BR11GA-3441** को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.**अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 544 दिनांक 2/9/21
प्रतिलिपि - उत्पाद आयुक्त, बिहार पटना / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2/9
अपर जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया।